न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर, जिला भरतपुर

प्रकरण संख्या - 3/2013 दायर दिनांक - 5.7.13

पीठासीन अधिकारी - घनश्याम अग्रवाल उपखण्ड अधिकारी नगर

उनवान - नवाब खां पुत्र रहीम खां जाति मेव निवासी डुडावल तहसील नगर जिला भरतपुर

बनाम

तहसीलदार नगर जिला भरतपुर (राजस्थान)

— प्रार्थी

— अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

निर्णय

दिनांक - 8.8.13

पत्रावली पेश हुई। सावधानीपूर्वक अध्ययन किया व मनन किया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी नवाब खां पुत्र रहीम खां जाति मेव निवासी डुडावल तहसील नगर जिला भरतपुर (राजस्थान) ने जरिये एडवोकेट श्री जमीलखां एवं प्रार्थनापत्र इस आशय प्रस्तुत किया कि ग्राम डुडावल तहसील नगर की आराजी खसरा नम्बर 96 रकबा 0.65 बिस्वे स्थित खसरा नम्बर 150 रकबा 2-03 बीघा व 152 रकबा 1-01 बीघा कुल 3-04 बीघा रहीम खां पुत्र घोसी मेव के नाम थी। जिसे वर्तमान रेकर्ड में, खसरा नम्बर गत 150 151 रकबा 0.11 बीघा के विभाजित होकर, खसरा नम्बर वाला 96 रकबा 0.65 हेक्टेयर में हिस्सा 64/75 में "रहीम खां पुत्र घोसी" के स्थान पर "रहीम खां पुत्र घोसी" अंकित कर दिया है। जो सही करना चाहे। प्रार्थी ने उसके समर्थन में जमाबन्दी संवत 2062 से 65 खाता नं. 67, गत फैसलशुदा जमाबन्दी संवत अपील खाता नं. 143, खसरा भू-प्रबन्ध संवत 2029, की नकलें पेश की।

~~अप्रार्थी की~~ की तरफ से नायब तहसीलदार नगर ने जवाब प्रार्थनापत्र पेश किया। जिसमें उन्होंने रेकर्ड की स्थिति की पुष्टि की है। वकील प्रार्थी एवं अधिवक्ता की बहस हुई। दोनों ने भी रेकर्ड की पुष्टि की।

अतः आदेश है कि [illegible] खसरा नम्बर 96 रकबा 0.65 हेक्टेयर के हिस्से 64/75 में "[illegible]" के स्थान पर "रहीम खां पुत्र घोसी" परिवर्तित कर [illegible]

निर्णय आज दिनांक 8.8.13 को मेरे द्वारा न्यायालय खुला है इजलास में सुनाया गया। प्रार्थनापत्र निर्णीत मुताबिक है।

(घनश्याम अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
नगर [भरतपुर] राज०

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2023.09.04 12:16:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner